

**2017 का विधेयक संख्यांक 251**

[दि एप्रोप्रिएशन (नम्बर 5) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

**विनियोग (संख्यांक 5)  
विधेयक, 2017**

वित्तीय वर्ष 2017-18 की सेवाओं के लिए भारत की  
संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय  
और विनियोग को प्राधिकृत  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह  
अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2017 है ।
- 5 2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग छह खरब, इकसठ अरब, तेरह करोड़, चौतीस लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए जाने होंगे, संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी ।
- 10 3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

संक्षिप्त नाम ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत की संचित निधि में से 6,61,13,34,00,000 रुपए का निकाला जाना ।

विनियोग ।

**अनुसूची**  
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1 अनुदान का संख्यांक	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		₹0	₹0	₹0
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व 2,00,000 पूंजी 1,00,000	..	2,00,000 1,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व 1,92,00,00,000	..	1,92,00,00,000
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000
4	परमाणु ऊर्जा	राजस्व 6,88,26,00,000 पूंजी 2,78,73,00,000	..	6,88,26,00,000 2,78,73,00,000
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	राजस्व 1,01,15,00,000 पूंजी 28,00,00,000	..	1,01,15,00,000 28,00,00,000
7	उर्वरक विभाग	राजस्व 2,05,32,51,00,000	..	2,05,32,51,00,000
8	भेषजीय विभाग	राजस्व 18,35,00,000	..	18,35,00,000
9	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व 85,22,00,000 पूंजी 1,00,000	..	85,22,00,000 1,00,000
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व 10,77,52,00,000 पूंजी 59,00,00,000	..	10,77,52,00,000 59,00,00,000
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व 4,00,000 पूंजी 1,00,000	..	4,00,000 1,00,000
13	डाक विभाग	राजस्व 2,04,00,00,000 पूंजी 2,16,00,00,000	3,01,00,000 ..	2,07,01,00,000 2,16,00,00,000
14	दूरसंचार विभाग	राजस्व 2,00,000 पूंजी 35,00,00,000	..	2,00,000 35,00,00,000

1	2	3			
		रु0	रु0		
15	उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	8,50,00,000	..	8,50,00,000
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व	34,86,99,00,000	2,00,000	34,87,01,00,000
		पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
17	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राजस्व	40,79,00,000	..	40,79,00,000
18	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
19	रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण)	पूंजी	5,00,00,00,000	..	5,00,00,00,000
20	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	राजस्व	29,54,66,00,000	..	29,54,66,00,000
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राजस्व	65,00,00,000	..	65,00,00,000
24	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	राजस्व	40,00,000	..	40,00,000
26	इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व	3,72,03,00,000	..	3,72,03,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
28	विदेश मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
29	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	36,02,00,000	..	36,02,00,000
		पूंजी	1,00,03,00,000	..	1,00,03,00,000
31	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व	4,00,000	..	4,00,000
		पूंजी	2,92,00,00,000	..	2,92,00,00,000
33	राजस्व विभाग	राजस्व	43,69,00,000	..	43,69,00,000
34	प्रत्यक्ष कर	पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
35	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	12,10,49,00,000	..	12,10,49,00,000
36	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	राजस्व	85,77,00,000	..	85,77,00,000
39	पेंशन	राजस्व	59,05,00,00,000	95,00,00,000	60,00,00,00,000

1	2	3			
		₹0	₹0		
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	66,87,52,00,000	..	66,87,52,00,000
		पूँजी	2,71,01,00,000	..	2,71,01,00,000
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	राजस्व	2,43,39,00,000	..	2,43,39,00,000
44	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
46	गृह मंत्रालय	राजस्व	4,04,00,000	..	4,04,00,000
47	मंत्रिमंडल	राजस्व	20,00,00,000	..	20,00,00,000
48	पुलिस	राजस्व	42,92,86,00,000	..	42,92,86,00,000
		पूँजी	1,00,000	..	1,00,000
49	अंदमान और निकोबार द्वीप	राजस्व	1,00,00,00,000	..	1,00,00,00,000
		पूँजी	4,16,02,00,000	..	4,16,02,00,000
50	चंडीगढ़	राजस्व	62,77,00,000	..	62,77,00,000
		पूँजी	7,00,000	3,17,58,00,000	3,17,65,00,000
52	दमण और दीव	राजस्व	4,00,000	..	4,00,000
		पूँजी	20,01,00,000	..	20,01,00,000
53	लक्षद्वीप	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूँजी	9,00,000	..	9,00,000
56	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	6,50,03,00,000	..	6,50,03,00,000
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	15,32,76,00,000	..	15,32,76,00,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
60	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूँजी	1,00,000	..	1,00,000
61	विधि और न्याय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूँजी	46,26,00,000	..	46,26,00,000

1	2	3			
		रु0	रु0		
62	निर्वाचन आयोग	राजस्व	5,00,00,000	..	500,00,000
		पूंजी	38,79,00,000	..	38,79,00,000
	<b>भारित</b> – भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व	..	8,00,00,000	8,00,00,000
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
65	खान मंत्रालय	राजस्व	47,00,00,000	..	47,00,00,000
66	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व	4,00,000	..	4,00,000
67	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
68	पंचायती राज मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
69	संसदीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	50,00,000	..	50,00,000
70	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व	1,96,67,00,000	..	1,96,67,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
	<b>भारित</b> —केंद्रीय सतर्कता आयोग	राजस्व	..	3,35,00,000	3,35,00,000
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	3,02,00,000	..	3,02,00,000
		पूंजी	3,00,00,00,000	..	3,00,00,00,000
73	योजना मंत्रालय	राजस्व	27,27,00,000	..	27,27,00,000
74	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	29,95,55,00,000	..	29,95,55,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
78	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	राजस्व	1,28,00,000	..	1,28,00,000
	<b>भारित</b> -- संघ लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	12,11,00,000	12,11,00,000
80	रेल मंत्रालय	पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
82	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	83,94,59,00,000	..	83,94,59,00,000

1	2	3			
		₹0	₹0	₹0	
84	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	5,00,00,000	..	5,00,00,000
85	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	38,00,00,000	..	38,00,00,000
87	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
88	कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	राजस्व	1,51,00,000	..	1,51,00,000
90	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
91	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	61,78,00,000	..	61,78,00,000
		पूंजी	3,40,00,000	..	3,40,00,000
94	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	24,25,00,000	..	24,25,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
95	पर्यटन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
96	जनजातीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	3,00,00,000	..	3,00,00,000
97	शहरी विकास मंत्रालय	राजस्व	50,01,00,000	..	50,01,00,000
		पूंजी	86,02,00,000	..	86,02,00,000
98	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	राजस्व	3,30,08,00,000	..	3,30,08,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
99	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
100	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	96,87,00,000	96,88,00,000
<b>योग</b>		:	<b>6,55,77,40,00,000</b>	<b>5,35,94,00,000</b>	<b>6,61,13,34,00,000</b>

## **उद्देश्यों और कारणों का कथन**

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में, भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए लोक सभा द्वारा किए गए अनुदानों को चुकाने के लिए आवश्यक है, पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

**अरुण जेटली**